

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....मुकाम.....

(SDO) बायतु

.....बनाम.....

अमुदेवा

कुजबिम कोर

किस्म मुकदमा.....नं.....सन् 2022

रि आवेदन 111, 128

RLR M-

8/1/22

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
7/3/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>स्वेलाराम जारवड</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RLR M-</u> राजस्थान कास्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>22/3/22</u> को पेश हो।</p>	
22/03/2022	<p>प्रार्थी वकील उपरिपत्र/विप्रार्थी/वादी के नोटिस तामील शुद्धा प्राप्त जिले शामिल पत्रावली विप्रार्थी/वादी/विप्रार्थी/वादी वा फर्द तामिल अमुदेवा/अपीलांट समय तीन बार आवाज लगाई गई किन्तु आवाज 5:45 PM पर लगाई गई विप्रार्थी- वादी स्वयं या उनकी ओर से कोई प्रतिवादी उपरिपत्र नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थी/वादी के विरुद्ध एडवोकेट द्वारा कमल में लाई जाते हैं। अतः वास्ते बडस पत्रावली दिनांक-27/04/2022 को पेश हो।</p>	

सहायक कलेक्टर
(S.D.O) बायतु

सहायक कलेक्टर
(S.D.O) बायतु
जिला - बायतु


तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

29/4/22

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माडे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु
जिला - बाडमेर

न्याय
क्रमांक : वाद / 2022 / 415
प्रार्थी

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 415

दिनांक : 27/4/22

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. झमु देवी पत्नी माधाराम,
2. देउ पत्नी शंकरलाल,
जाति जाट, निवासी निम्बाणियों की ढाणी,
पटवार मण्डल पूनियों का तला,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. दुर्गराम पुत्र रामाराम वगैरा 05,
जाति जाट, निवासी निम्बाणियों की ढाणी,
पटवार मण्डल पूनियों का तला,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 84/2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - निम्बाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल - पूनियों का तला, तहसील - गिड़ा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 766/587 रकबा 2.5495 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 416-420

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का पूनियों का तला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री झमु देवी पत्नी माधाराम वगैरा 02,
4. विप्रार्थी श्री दुर्गराम पुत्र रामाराम वगैरा 05,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

सहायक कलक्टर
(जगदीश सिंह आशिया)
(SPO) बायतु

दिनांक : 27/4/22

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी बायतु